

आदेश क्रमांक: 12/125-97 वि-T121

दिनांक, चण्डीगढ़ : 31-12-97

श्री आश्विन मन्दिर हाई स्कूल फरीदाबाद को दसवीं स्तर की स्थानीय मान्यता दिनांक 1-4-97 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से बनायेंगे और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली दिशा-वर्तों की पालना करेगा।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 214 से 239 तक की शर्तों को पूर्ण रूप से पालना करेगा।
4. विद्यालय प्रबन्धक को 25,000/- रुपये की राशि तीन मास के अन्दर जमा करावेंगे।

रजि.सी.ओ.एच.ए.
निदेशक सेक्रेटरी शिक्षा
हरियाणा

पू090-तम-

दिनांक, चण्डीगढ़ : 8-1-98

प्रेषित है :-

इसकी एक प्रती निम्नलिखित को सुवार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके वादी प्रमाण जी-1-97/1705 दिनांक 10-12-97 के संदर्भ में।
2. अधीक्षक सेक्रेटरी शिक्षा:स्थानीय।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. अधीक्षक आंकड़ा:स्थानीय।
5. महाध्यापक, श्री आश्विन मन्दिर हाई स्कूल फरीदाबाद। उनसे अनुरोध है कि वे इस और सभी निश्चित अवधि में जमा करवाकर निदेशालय की अनुमति रिपोर्ट भेजें।

उप निदेशक विद्यालय
को: निदेशक सेक्रेटरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़।